

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- प.135/एनपीएस/जनरल/2017-18/

दिनांक

कार्यालय निर्देश 01

राज्य में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एनपीएस अंशदाताओं की एनपीएस राशि सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक को सही प्रकार से समय पर स्थानांतरित किये जाने हेतु समय समय पर निर्देश जारी किये गये हैं, परन्तु यह देखने में आया है कि राशि अपलोड/स्थानांतरण की कार्यवाही करते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाने से अधिक राशि अपलोड हो जाती है अथवा गलत प्रान में राशि स्थानांतरण हो जाती है जिसके लिए एनएसडीएल पोर्टल पर ऐरर रेक्टिफिकेशन मॉड्यूल (ईआरएम) के माध्यम से ऐरर रेक्टिफिकेशन कर राशि पुनः डीटीओ के एनपीएस बैंक खाते में अथवा सही प्रान में अन्तरित करने की कार्यवाही की जाती है। इसी क्रम में एनपीएस अंशदाताओं की एनपीएस राशि अपलोड तथा ईआरएम संबंधी प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने हेतु निम्न प्रकार निर्देश दिये जाते हैं-

प्रान से प्रान ऐरर रेक्टिफिकेशन

1. ऐरर रेक्टिफिकेशन हेतु संबंधित लिपिक/पर्यवेक्षक द्वारा पूर्ण विवरण कार्यालय टिप्पणी पर प्रस्तुत कराया जावेगा जिस पर जिलाधिकारी द्वारा ऐरर रेक्टिफिकेशन की स्वीकृति हेतु कार्यालय आदेश जारी किया जावेगा। तत्पश्चात् संबंधित पर्यवेक्षक/अधिकृत कार्मिक द्वारा मेकर की यूजर आईडी से ऐरर रेक्टिफिकेशन की कार्यवाही की जावेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा चेकर की यूजर आईडी से ऐरर रेक्टिफिकेशन को कैप्चर किया जावेगा। इससे संबंधित ईआरएम रजिस्टर का भी संधारण किया जावे जिसमें ऐरर रेक्टिफिकेशन से संबंधित संपूर्ण विवरण अंकित किया जावे।
2. ऐरर रेक्टिफिकेशन के ऑथोराइजेशन हेतु जिलाधिकारी द्वारा लिखित हस्ताक्षरित आवेदन ऐरर रेक्टिफिकेशन डिटेल सहित संबंधित संभागीय अधिकारी (डीटीए) को प्रेषित किया जावेगा।
3. उक्त विवरण प्राप्त होने के पश्चात् संभागीय अधिकारी द्वारा संपूर्ण विवरण की जांच पश्चात् अधिकृत किया जावेगा।
4. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जहां प्रान से प्रान ईआरएम के प्रकरणों में दर्ज प्रविष्टियों की संख्या 100 अथवा 100 से अधिक प्राप्त होती है तो उसे ऑफ लाईन एनएसडीएल (सीआरए) द्वारा निर्धारित एक्सल प्रारूप में जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतया जांच के पश्चात् संभागीय अधिकारी को भिजवाया जावे जिसे पुनः संभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतया जांच के पश्चात् प्रारूप मय पत्र ई-मेल द्वारा एनएसडीएल (सीआरए) को भिजवाया जाकर सही प्रान में राशि स्थानांतरण करने की कार्यवाही की जावे।

प्रान से बैंक ऐरर रेक्टिफिकेशन

1. ऐरर रेक्टिफिकेशन हेतु संबंधित लिपिक/पर्यवेक्षक द्वारा पूर्ण विवरण कार्यालय टिप्पणी पर प्रस्तुत कराया जावेगा जिस पर जिलाधिकारी द्वारा ऐरर रेक्टिफिकेशन की स्वीकृति हेतु कार्यालय आदेश जारी किया जावेगा। तत्पश्चात संबंधित पर्यवेक्षक/अधिकृत कार्मिक द्वारा मेकर की यूजर आईडी से ऐरर रेक्टिफिकेशन की कार्यवाही की जावेगी तथा जिलाधिकारी द्वारा चेकर की यूजर आईडी से ऐरर रेक्टिफिकेशन को कैप्चर किया जावेगा। इससे संबंधित ईआरएम रजिस्टर का भी संधारण किया जावे जिसमें ऐरर रेक्टिफिकेशन से संबंधित संपूर्ण विवरण अंकित किया जावे।
2. ऐरर रेक्टिफिकेशन के ऑथोराईजेशन हेतु जिलाधिकारी द्वारा लिखित हस्ताक्षरित आवेदन ऐरर रेक्टिफिकेशन डिटेल सहित संबंधित संभागीय अधिकारी (डीटीए) को प्रेषित किया जावेगा।
3. जिलाधिकारी के स्तर पर डीडीओज से प्राप्त विवरण के आधार पर प्रकरण की जांच कर संभागीय अधिकारी द्वारा ऑथोराईजेशन किये जाने हेतु स्वीकृति बाबत योजना प्रभारी (एनपीएस मुख्यालय जयपुर) को पूर्ण विवरण सहित जिसमें बैंक डिटेल भी अंकित हो स्वपूरित प्रस्ताव हार्ड कापी में भिजवाया जावेगा योजना प्रभारी (एनपीएस मुख्यालय जयपुर) से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर संभागीय अधिकारी (डीटीए) द्वारा ऑथोराईजेशन की कार्यवाही की जावेगी। संभागीय स्तर पर भी ईआरएम रजिस्टर का संधारण किया जावे जिसमें ईआरएम संबंधी पूर्ण विवरण तथा योजना प्रभारी (एनपीएस मुख्यालय जयपुर) के ऑथोराईजेशन का स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक भी अंकित हो।

एनपीएस मद में अन्य मद की राशि

एनपीएस में अन्य मद की राशि जमा हो जाने के फलस्वरूप सभी जिला कार्यालयों द्वारा वन टाईम रिलेक्सेशन हेतु प्रस्ताव मुख्यालय स्थित एनपीएस अनुभाग को भिजवाये जाते रहे है जो कि पूर्णतया गलत है इससे महालेखाकार में दर्ज मासिक राशि में संशोधन नहीं हो पाता है तथा महालेखाकार में दर्ज राशि त्रुटिपूर्ण रह जाती है। अतः वर्तमान में जारी प्रक्रिया में पूर्णतया संशोधन कर उक्त प्रकार के प्रकरण टी.ई. (स्थानांतरण प्रविष्टि) जिस प्रकार प्रावधायी निधि एवं बीमा मद में अन्य मदों की राशि प्राप्त होने पर की जाती है उसी प्रकार प्रकरण निस्तारित किये जावे।

संभागीय कार्यालय/जिला कार्यालयों के द्वारा मासिक रूप से सीआरए (एनएसडीएल) द्वारा डीटीएज/डीटीओज को उपलब्ध करवायी गयी ईआरएम प्रकरणों की सूची से आवश्यक रूप से मिलान किया जावेगा तथा प्रत्येक माह संपादित ईआरएम की सूची मासिक प्रगति विवरण के साथ संलग्न कर एनपीएस अनुभाग मुख्यालय को निम्न प्रारूप में भिजवायी जावेगी।

Statement of Error Rectification

Name of District :-.....

Month/Year :-.....

S. No	DTO Reg. No.	PRAN	Name	Adjusted Contribution Amount	Ack. ID	No. and Date of Sanction letter for ER Issued by Scheme Incharge (NPS)	Remark (Contribution type etc.)

डीटीओ/डीटीए प्रत्येक ईआरएम ट्रांजेक्शन के पश्चात् आवश्यक रूप से अपना पासवर्ड परिवर्तन कर लें।

उपरोक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

sd
(आनन्द स्वरूप)
निदेशक

क्रमांक :- प.135/एनपीएस/जनरल/2017-18/ 1050

दिनांक 04-07-2019

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त संभागीय कार्यालय राजस्थान।
3. अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कार्यालय निर्देश को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
4. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, समस्त जिला कार्यालय राजस्थान को भेजकर लेख है कि निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें।

JMG
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (एनपीएस)